आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
1	*2*	*3*

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

24.09.2019

ईसी० एक्ट वाद संख्या - 306/2018

राज्य (प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बी० कोठी)

...............................-आवेदक

बनाम

1. अजय साह, पिता-राजू साह, सा०-मीरगंज बाजार, थाना-मीरगंज, जिला-पूर्णिया।

...........................-विपक्षी

आ दे श

प्रस्तुत वाद **मीरगंज थाना कांड सं०-126/2018 दिनांक 25.10.2018 अंतर्गत जप्त 26.70 क्विंटल अरवा चावल तथा एक इलेक्ट्रोनिक तराजू को** आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् राजसात करने हेतु प्रारम्भ है। राजसात का प्रस्ताव **अनुमण्डल पदाधिकारी, धमदाहा के ज्ञापांक 517/आ0 दिनांक 01.11.2018** द्वारा प्राप्त है। जप्त सामग्री श्री नरेश प्रसाद चौधरी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-रूपसपुर खगहा, प्रखण्ड-धमदाहा के जिम्मेनामा पर रखा गया है। विपक्षी के विरूद्ध सरकारी अनुदानित खाद्यान को कालाबाजारी में बेचने के प्रयास का आरोप लगाया गया है।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। मुख्य रूप से उनका कथन है कि विपक्षी के पास किराना दुकान नहीं है। उनके पास साधारण चाय / पान और नास्ते की दुकान है, जबकि किराना दुकान से सामग्री जप्त करने का आरोप लगाया है। विपक्षी का कथन है कि उनके दुकान से खाद्यान्न जप्त नहीं हुआ है। विपक्षी इस वाद में बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके द्वारा वाद से मुक्त करने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, ई०सी०एक्ट पूर्णिया द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि जप्त सामग्री पर विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का दावा नहीं किया गया है। तद्नुसार राजसात का निर्णय

लिया जा सकता है।

विपक्षी से प्राप्त कारणपृच्छा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन एवं राजसात हेतु प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा जप्त सामग्रियों पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया गया है, जबकि विपक्षी के विरूद्ध ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई। साथ ही अन्य किन्हीं के द्वारा भी दावा नहीं किया गया है। तद्नुसार इस मामले में प्रतिवेदित कृत्य बिहार सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 (यथा संशोधित 2011) का उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-7 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

अतः इस वाद अन्तर्गत **जप्त 26.70 क्विंटल अरवा चावल तथा एक इलेक्ट्रोनिक तराजू** को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा तत्संबंधी प्रावधानों के तहत् **अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णिया** अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेगें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

24.09.19

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।